**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं.5379**

**03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**हरियाणा में पीएम-ई-बस सेवा योजना**

**5379. श्री सतपाल ब्रह्मचारीः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हरियाणा के शहरी क्षेत्रों, विशेषकर सोनीपत और जींद जैसे शहरों में पीएम-ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत बसें उपलब्ध कराई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन शहरों में कुल कितनी इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत हैं, खरीदी गई हैं और संचालित हैं;

(ग) पीएम-ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत हरियाणा के लिए अब तक उपयोग की गई निधि के प्रतिशत के साथ-साथ आवंटित निधि का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में सहायता के लिए स्थापित किए गए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है और अगले वर्ष तक कितने अतिरिक्त स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) और (ख) पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत, 2011 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से कम आबादी वाले राजधानी शहरों सहित 3 लाख से 40 लाख की आबादी वाले शहर भाग लेने के पात्र हैं। हरियाणा राज्य में इस योजना के तहत सात शहर अर्थात फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर पात्र हैं। पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत हरियाणा के सात पात्र शहरों के लिए कुल 450 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। बसों की पात्रता और स्वीकृत बसों की संख्या का शहर-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| शहर का नाम | बसों की संख्या की पात्रता | स्वीकृत बसों की संख्या |
|---|---|---|
| फरीदाबाद | 100 | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| गुरुग्राम | 100 | 100 |
| हिसार | 50 | 50 |
| करनाल | 50 | 50 |
| पानीपत | 50 | 50 |
| रोहतक | 50 | 50 |
| यमुनानगर | 50 | 50 |
| कुल | 450 | 450 |

निविदा शर्तों के अनुसार, शहर द्वारा रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से नौ महीने बाद बसों की तैनाती और संचालन शुरू होता है।

(ग) और (घ) हरियाणा राज्य के दो शहरों के लिए पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत बिहाइंड-द-मीटर (बीटीएम) पावर और सिविल डिपो संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अब तक कुल 22.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति  दी गई हैं। इस योजना के तहत, चार्जिंग स्टेशन को सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) ऑपरेटर के अंतर्गत शामिल किया गया है। हरियाणा राज्य को स्वीकृत राशि का शहर-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

| शहर का नाम | स्वीकृत राशि<br>(करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| फरीदाबाद | 16.41 |
| गुरुग्राम | 5.72 |
| कुल | 22.13 |

**********